न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 203/2025

राजकुमार पुत्र हरनारायण, जाति जाट, निवासी नाटास, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं (राज0)
––अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं (राज0)
––रेस्पोडेंन्ट

———

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय बअदालत नायब तहसीलदार, गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं, मु0 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम राजकुमार, अ0धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, मु0न0 52/2025, आदेश दिनांक 27.06.2025

———

उपस्थित :–

1. श्री विजयपाल, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 25.08.2025

प्रस्तुत अपील नायब तहसीलदार, गुढागौडजी के आदेश दिनांक 27.06.2025 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र स्थगन के पेश की गई है। अपीलान्ट के अनुसार अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को आराजी हाल ख0न0 117 व 104 रकबा क्रमशः 1.84 हैक्टर व 21.91 हैक्टर सरहद मौजा नाटास, किस्म गैर मुमकिन नदी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने व 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने व 150 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया। इस कारण अपीलान्ट की ओर से अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय जैर बहस खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली है। अपीलान्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नही है। अपीलान्ट के विरूद्व दफा 91 एल0आर0 एक्ट 1956 के प्रावधान लागू नही होते है। रेस्पोडेन्ट द्वारा पूर्व मे निस्तारित मु0न0 25/2024 निर्णय दिनांक 07.03.2024 के क्रम मे बनाई गई फर्द बेदखली साबित नही करवाई है। कानून से पूर्व की फर्द बेदखली को भू–अभिलेख निरीक्षक अथवा पटवारी हल्का अथवा बेदखली कार्यवाही करने वाले राजस्व कर्मचारी से साबित करवाये बिना पश्चात्वर्ती बेदखली की कार्यवाही नही की जा सकती है। अदालत मातहत की पत्रावली पर मौजूद पटवारी हल्का के बयान से भी इस बात की ताईदा होती है कि अपीलान्ट को पूर्व मे पारित निर्णयों के क्रम मे बेदखल नही किया गया था। इसी प्रकारण पटवारी हल्का के बयान मे आदेश क्रमांक व दिनांक का कॉलम रिक्त है। अदालत मातहत की पत्रावली पर मौजूद पटवारी हल्का के बयान का उल्लेख आदेशिकाओं पर नही है तथा उक्त बयान कानून मे साक्ष्य की श्रेणी मे नही है। बयान को देखने से प्रकट होता है कि यह एक साइकलों स्टाईल तरीके से तैयार किया गय। बयान अंकित करवाने की दिनांक अंकित नही है। बयान पर पीठासीन अधिकारी की सील व हस्ताक्षर नही है। पटवारी हल्का के बयान से पूर्व मे पारित निर्णयों व बेदखली का कोई हवाला नही है। अदालत मातहत की पत्रावली पर मौजूद पटवारी हल्का के बयान से यह स्पष्ट होता है कि पूर्व मे अपीलान्ट को केवल ख0न0 117 से तथाकथित रूप से बेदखल किय गया है। वर्तमान प्रकरण मे अदालत मातहत ने ख0न0 104 पर भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमी माना है जबकि ख0न0 104 से अपीलान्ट को पहले कभी बेदखल नही किया गया हो ऐसी साक्ष्य माक्जूद नही है। इसके बावजूद अदालत मातहत ने विधिक प्रकिया को नजरअंदाज कर गलत निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट के विरूद्व पश्चात्वर्ती अतिक्रमण की साक्ष्य नही है। अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की पालना नही की गई है। अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नही दिया गया है। तथाकिथत पश्चात्वर्ती अतिक्रमण की लम्बाई, चौडाई व दिशा व स्थान दर्ज नही किया गया है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की एकपक्षीय रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित कर कानूनी गलती की है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का से अपीलान्ट को जिरह करने का अवसर नही दिया है। अदालत मातहत की पत्रावली पर मौजूद फर्द फसल निलामी दिनांकित 22.04.2025 व फर्द कुर्की दिनांक 19.03.2025 एकपक्षीय है। अपीलान्ट की कभी जमीन ख0न0 117 व 104 किस्म गैर मुमकीन नदी सरहद मौजा नाटास पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काश्त कर अतिक्रमण करने की मंशा नही है तथा ना ही रही

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

है। अपीलाट वरिष्ठ नागरिक है और भारतीय सेना से सेवानिवृत है। अपीलान्ट का मौके पर निर्णय जैर बहस मे उल्लेखित भूमि पर भौति कब्जा काश्त नही है और निर्णय जैर बहस मे उल्लेखित भूमि मौके पर खाली पडी है। भविष्य मे अपीलान्ट गैर मुमकिन नदी की भूमि को काश्त करने की मंशा नही रखता है। ऐसी सूरत मे अपीलान्ट के प्रति नरमी का रूखा अपनाया जाना उचित व आवश्यक है। अपीलान्ट का उक्त जमीन पर काश्त के रूप मे कब्जा नही है। अपीलान्ट भविष्य मे जमीन को काश्त नही करेगा तथा निर्णय मे उल्लेखित भूमि का खाली कर दिया गया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत नायब तहसीलदार, गुढागौडजी के निर्णय दिनांक 27.06.225 को अपास्त किया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के दौरान नजीर आरआरटी 2009(2) पेज 858 की ओर ध्यान आकर्षित किया तथा प्रार्थना पत्र अण्डरटेकिंग मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नही है। अपीलान्ट के विरूद्व दफा 91 एल0आर0 एक्ट 1956 के प्रावधान लागू नही होते है। रेस्पोडेन्ट द्वारा पूर्व मे निस्तारित मु0न0 25/2024 निर्णय दिनांक 07.03.2024 के क्रम मे बनाई गई फर्द बेदखली साबित नही करवाई है। कानून से पूर्व की फर्द बेदखली को भू–अभिलेख निरीक्षक अथवा पटवारी हल्का अथ्वा बेदखली कार्यवाही करने वाले राजस्व कर्मचारी से साबित करवाये बिना पश्चात्वर्ती बेदखली की कार्यवाही नही की जा सकती है। अदालत मातहत की पत्रावली पर मौजूद पटवारी हल्का के बयान से भी इस बात की ताईदा होती है कि अपीलान्ट को पूर्व मे पारित निर्णयों के क्रम मे बेदखल नही किया गया था। इसी प्रकारण पटवारी हल्का के बयान मे आदेश क्रमांक व दिनांक का कॉलम रिक्त है। अदालत मातहत की पत्रावली पर मौजूद पटवारी हल्का के बयान का उल्लेख आदेशिकाओं पर नही है तथा उक्त बयान कानून मे साक्ष्य की श्रेणी मे नही है। बयान को देखने से प्रकट होता है कि यह एक साइकलों स्टाईल तरीके से तैयार किया गय। बयान अंकित करवाने की दिनांक अंकित नही है। बयान पर पीठासीन अधिकारी की सील व हस्ताक्षर नही है। पटवारी हल्का के बयान से पूर्व मे पारित निर्णयों व बेदखली का कोई हवाला नही है। अदालत मातहत की पत्रावली पर मौजूद पटवारी हल्का के बयान से यह स्पष्ट होता है कि पूर्व मे अपीलान्ट को केवल ख0न0 117 से तथाकथित रूप से बेदखल किय गया है। वर्तमान प्रकरण मे अदालत मातहत ने ख0न0 104 पर भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमी माना है जबकि ख0न0 104 से अपीलान्ट को पहले कभी बेदखल नही किया गया हो ऐसी साक्ष्य माक्जूद नही है। इसके बावजूद अदालत मातहत ने विधिक प्रक्रिया को नजरअंदाज कर गलत निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट के विरूद्व पश्चात्वर्ती अतिक्रमण की साक्ष्य नही है। अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की पालना नही की गई है। अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नही दिया गया है। तथाकिथत पश्चात्वर्ती अतिक्रमण की लम्बाई, चौडाई व दिशा व स्थान दर्ज नही किया गया है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की एकपक्षीय रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित कर कानूनी गलती की है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का से अपीलान्ट को जिरह करने का अवसर नही दिया है। अदालत मातहत की पत्रावली पर मौजूद फर्द फसल निलामी दिनांकित 22.04.2025 व फर्द कुर्की दिनांक 19.03.2025 एकपक्षीय है। अपीलान्ट की कभी जमीन ख0न0 117 व 104 किस्म गैर मुमकीन नदी सरहद मौजा नाटास पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काश्त कर अतिक्रमण करने की मंशा नही है तथा ना ही रही है। अपीलाट वरिष्ठ नागरिक है और भारतीय सेना से सेवानिवृत है। अपीलान्ट का मौके पर निर्णय जैर बहस मे उल्लेखित भूमि पर भौति कब्जा काश्त नही है और निर्णय जैर बहस मे उल्लेखित भूमि मौके पर खाली पडी है। भविष्य मे अपीलान्ट गैर मुमकिन नदी की भूमि को काश्त करने की मंशा नही रखता है। ऐसी सूरत मे अपीलान्ट के प्रति नरमी का रूखा अपनाया जाना उचित व आवश्यक है। अपीलान्ट का उक्त जमीन पर काश्त के रूप मे कब्जा नही है। अपीलान्ट भविष्य मे जमीन को काश्त नही करेगा तथा निर्णय मे उल्लेखित भूमि का खाली कर दिया गया है। अदालत मातहत नायब तहसीलदार, गुढागौडजी को धारा 91(6) मे कार्यवाही करने के अधिकार नही है। नायब तहसीलदार, गुढागौडजी को धारा 91 (3) मे कार्यवाही के अधिकार प्राप्त है। धारा 91(3) मे अदालत मातहत नायब तहसीलदार को कार्यवाही मे पश्चात्वर्ती अतिक्रमण को सिद्व करना होता है। पूर्व मे की गई फर्द बेदखली पेश नही हुई है। बयानों व मुकदमे मे अतिक्रमित भूमि के ख0न0 अलग–अलग है। अपीलान्ट को ख0न0 104 मे से पूर्व मे बेदखल नही किया गया है। जो बेदखली पहले की बताई है, वह ख0न0 117 की है। जब अपीलान्ट को पूर्व मे बेदखल ही नही किया गया तो पश्चात्वती अतिक्रमण मानकर सजा कैसे की जा सकती है। अपीलान्ट को धारा 91(6) के तहत नोटिस दिया गया है। धारा 91(6) मे कार्यवाही के अधिकार अदालत मातहत को न होकर ज्यूडिशियल कोर्ट को है। अतः अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत नायब तहसीलदार, गुढागौडजी के निर्णय दिनांक 27.06.225 को अपास्त किया जावे।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने ग्राम नाटास स्थित भूमि ख0न0 117 व ख0न0 104 किस्म गैर मुमकिन नदी मे अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट को नोटिस जारी किये गये है। अपीलान्ट बावजूद नोटिस तामिल अदालत मातहत मे उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट को पूर्व मे अतिक्रमी घोषित कर बेदखल कर दिया गया था। प्रकरण मे अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का के बयान हुए है। अदालत मातहत के आदेश मे नियमानुसार से धारा 91(6) लिखा गया है। अपीलान्ट ने गैर मुमकिन नदी भूमि पर अतिक्रमण किया है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। अपीलान्ट का अवैध कब्जा है। अदालत मातहत ने नियमानुसार आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर तथा शपथ पत्र का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम नाटास स्थित भूमि ख0न0 117, 104 रकबा 1.84, 22.91 है0 किस्म गैर मुमकीन नदी मे से 0.40 है0 भूमि पर अतिक्रमी माना है। अपीलान्ट ने शपथ पत्र दिया है कि उनके द्वारा विवादित भूमि से कब्जा हटा रखा है तथा भविष्य में वे अतिक्रमण नहीं करेगें। इसके समर्थन में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर जिसके अनुसार ''भू राजस्व अधिनियम, 1956–धारा 91–चारागाह भूमि पर अतिक्रमण–बेदखली, कारावास व शास्ति का आदेश–प्रार्थी ने शपथ पत्र पेश किया और कारावास को अपास्त करने की प्रार्थना की–प्रार्थी ने अण्डरटेकिंग दी कि भविष्य में वह अतिक्रमण नहीं करेगा–निर्णित, मामले के तथ्यों को देखते हुये सिविल कारावास का आदेश सशर्त अपास्त किया।'' प्रकरण पर चस्पा होती है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 27.06.2025 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अदालत मातहत मौके की पुनः जांच करे कि अपीलान्ट द्वारा अपना अतिक्रमण हटा लिया गया है या नहीं यदि मौके पर अतिक्रमण पाया जाता है तो अतिक्रमी को नियमानुसार सुनवाई का अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं